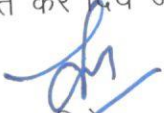


कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या-एम0ई0-3/यू0जी0-2021/1360 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2022
आवश्यक सूचना

महानिदेशालय के पत्र संख्या-एम0ई0-3/यूजी-2021/652 दिनांक 16 मार्च, 2022 के द्वारा यू0पी0 नीट यू0जी0-2021 के अन्तर्गत प्रतिभाग करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सिक्योरिटी धनराशि रू0 30,000/-, रू0 1,00,000/- एवं रू0 2,00,000/- के बैंक ड्राफ्ट जमा किये हैं और उन्हें राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा अपना बैंक ड्राफ्ट, जिस सेन्टर पर जमा किया है, वहाँ से जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि की रसीद मूल रूप में प्रस्तुत कर दिनांक 23.04.2022 तक प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी थी।

अतः उपरोक्त के कम में बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने की तिथि अग्रिम आदेशों तक विस्तारित की जाती है।

प्रवेशित अभ्यर्थियों के सिक्योरिटी बैंक ड्राफ्ट वापसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, प्रवेशित अभ्यर्थियों के बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित कालेजों को यथा-शीघ्र प्रेषित कर दिये जाएंगे।


महानिदेशक